(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग/इंदौर/भू.रा./2017/3509 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–9–2017 पारित द्वारा तहसीलदार, डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर प्रकरण कमांक 6/अ–70/2016–17.

रामेश्वर पिता बोन्दरसिंह
निवासी ग्राम कमदपुर तहसील महू
जिला इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–फूलसिंह पिता ओंकारसिंह
2–श्रीमती भगवंतीबाई पति फूलसिंह
3–श्रीमती लक्ष्मीबाई पति सत्यनारायण ठाकुर,
तीनों निवासी ग्राम नांदेड तहसील महू
जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री रविन्द्र पाठक, अभिभाषक, आवेदक

श्री के0के0कंवर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित ~~आदेश~~ दिनांक 12–9–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम नांदेड की भूमि सर्वे नम्बर 8 के अंश भाग 0.208 हेक्टेयर भूमि आवेदक के कब्जे में होने से संहिता की धारा 250 के तहत कब्जा दिलाये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–9–2017 को आदेश पारित कर आवेदक का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया जाकर साक्ष्य का अवसर दिया गया है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12–9–17 को प्रकरण में आवेदक की ओर से नये अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर प्रकरण में अगली तिथि नियत करने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निवेदन का अस्वीकार करते हुये प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष त्रुटिपूर्ण सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत निगरानीकर्ता के विरूद्ध कब्जे की कार्यवाही की गई है जबकि उक्त सीमांकन में आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित नहीं रहा होकर उक्त सीमांकन से असंतुष्ट होकर कलेक्टर जिला इंदौर के अधीनस्थ एस0एल0आर से अपनी भूमि का सीमांकन करवाया जाना बताते हुये अपनी आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा दिनांक 16–11–16 को संबंधित आर0आई0 व पटवारी की सीमांकन प्रतिवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्ज की कार्यवाही आवेदक के विरूद्ध की गई है उक्त प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख रहा है कि मौके पर नाले की आकृति में परिवर्तन हुआ है । जिसके कारण आवेदक वास्तविक रूप से अनावेदकगणो की भूमि सर्वे नम्बर 8 की भूमि पर अतिक्रमणधारी था अथवा नहीं । इसकी पुष्टि भी अनावेदकगणों के प्रतिपरीक्षण से ही हो पाती किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर आवेदक को न्याय से वंचित कर दिया गया । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा यह निगरानी इस आशय से प्रस्तुत की गई है कि उसकी निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में उपबंधित प्रावधानों के विपरीत जाकर

आलोच्य आदेश पारित किया गया है उसे निरस्त कर प्रकरण वास्तविक निराकरण किये जाने हेतु अनावेदकगणों के प्रतिपरीक्षण का अवसर पुनः प्रदान करते हुये यथोचित आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 12–9–2017 को साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण के लिये अवसर की मॉग की थी । आवेदक द्वारा दिनांक 8–9–2017 को भी प्रतिपरीक्षण बीच में रूकवा दिया था, तभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर के साथ अगली पेशी दी गई थी । आवेदक की सुविधा के लिये साक्षियों को बार बार नहीं बुलाया जा सकता है उसे साक्ष्य की निरन्तरता में ही सामान्यतः प्रतिपरीक्षण करना चाहिये । स्पष्ट है कि आवेदक प्रतिपरीक्षण के लिये दिये गये अवसरों को बार–बार टालता रहा है । अतः अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के प्रतिपरीक्षण का अवसर सही ही समाप्त किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अन्य जो बिन्दु उठाये गये हैं उनका पूर्व के अंतरिम आदेशों में निराकरण हो चुका है तथा कुछ बिन्दु प्रकरण के गुणदोषों से संबंधित है जिसका निराकरण अंतिम आदेश में ही किया जा सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–9–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर